

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/विकास-16405/2026-4521/10/CC
प्रेषक,

पटना, दिनांक-

24 सितम्बर, 2026

अनिल कुमार झा, भा0प्र0से0
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनांतर्गत बिहार राज्य के सात निश्चय-3 अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के आलोक में 03 (तीन) नई चीनी मिलों (वारसलीगंज, मोतीपुर एवं तरैया) के लिए गन्ना संभाव्यता (feasibility) संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु 38.40 लाख (अड़तीस लाख चालीस हजार) रुपये के भुगतान एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:

स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 1587 दिनांक 16.12.2025 के आलोक में सात निश्चय -3 के अंतर्गत समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार के तहत पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार एवं नई चीनी मिलों की स्थापना का संकल्प लिया गया है। विभाग द्वारा बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 के आलोक में राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना/पुनरुद्धार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस क्रम में प्रस्तावित चीनी मिल इकाइयों के लिए पर्याप्त एवं सतत गन्ना उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित क्षेत्रों की गन्ना संभाव्यता (Cane Feasibility) का वैज्ञानिक एवं विस्तृत आकलन किया जाना आवश्यक है।

(2) गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि0 (NFCSF), नई दिल्ली के बीच दिनांक-31.03.2026 को Guiding Agency के रूप में राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना/पुनरुद्धार हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने तथा अन्य सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन (MOU) किया गया है।

(3) इस योजनांतर्गत राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि0, नई दिल्ली (NFCSF) के माध्यम से 03 (तीन) नई चीनी मिल (वारसलीगंज, मोतीपुर एवं तरैया) इकाइयों की गन्ना संभाव्यता (Cane Feasibility) का अध्ययन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराने हेतु सहकारिता विभाग, बिहार के संकल्प सं0-1037 दिनांक-30.01.2026 के आलोक में प्रति इकाई निर्धारित शुल्क देय होगा, जो निम्नवत् है :-

SI No.	Particulars	Amount (in Lakh)
1	DPR Preparation fee per mill	10.00
2	GST @ 18% on ₹10.00 lakh	1.80
3	Total Cost (including GST)	11.80
4	T.A./D.A.	Extra (Actuals, as applicable)

24/9/26

(4) उपरोक्त वांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में सात निश्चय-3 अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के आलोक में 03 (तीन) नई चीनी मिलों (वारसलीगंज, मोतीपुर एवं तरैया) के लिए गन्ना संभाव्यता (feasibility) संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु 35.40 लाख ₹0 एवं अध्ययन दल के TA/DA पर व्यय हेतु 03.00 लाख ₹0 यानि कुल 38.40 लाख (अड़तीस लाख चालीस हजार) रुपये के भुगतान एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(5) राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि०, नई दिल्ली को उनके द्वारा समर्पित पूर्व प्राप्ति रसीद (Pre Receipt Bill) के आधार पर प्रत्येक इकाई के DPR तैयार करने संबंधी कार्य हेतु प्रति इकाई स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत एवं शेष राशि का भुगतान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) समर्पित करने के उपरांत विमुक्त किया जायेगा तथा उनके द्वारा इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा राशि का भुगतान संबंधित एजेन्सी को CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

(9) स्वीकृत राशि की निकासी मांग संख्या-45 (गन्ना उद्योग विभाग) अंतर्गत बजट मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-108 वाणिज्यिक फसलें, उप शीर्ष- 0109 ईख विकास, विपत्र कोड-45-2401001080109 के अंतर्गत विषय शीर्ष-28 04-व्यवसायिक सेवाएँ अंतर्गत पुनर्विनियोग/अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि में से विकलनीय होगा।

(10) वित्त विभाग के पत्रांक-2561 (वि०)2 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

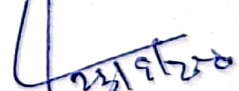
(11) योजना प्रस्ताव पर वित्त विभाग के ज्ञापांक-एम०-4-53/2007-12888 वि० दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-7 के आलोक में समीक्षा प्राधिकार की अनुशंसा प्राप्त है।

(12) स्वीकृत्यादेश प्रारूप एवं प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

(13) स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(14) वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

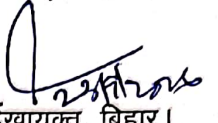
विभागाध्यक्ष


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16405/2026-452वी/CC

पटना, दिनांक- 24 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

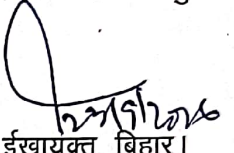

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16405/2026-452वी/CC

पटना, दिनांक- 24 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि०, नई दिल्ली/मुख्य गन्ना सलाहकार, राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि०, नई दिल्ली/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप निदेशक, ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

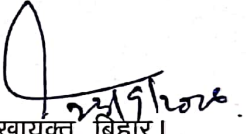
2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-16405/2026-452वी/CC

पटना, दिनांक- 24 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।